न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 164/2015 प्रार्थना पत्र एलआर

अनवान

श्रीमती फुला देवी पत्नि भंवर लाल बंजारा निवासी आर. सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)

.........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री दिनेश शर्मा वकील प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक 30/4/2015

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम **छापडेल, पटवार मण्डल छापडेल, भू.अ.निरिक्षक छापडेल, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1162/103 रकबा 15 बीघा** भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से पडौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पडौसान से अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी राज. राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी को जरिये समन तलब किया गया। विपक्षी ने उपस्थित होकर स्वंय को औपचारिक पक्षकार बताया एवं प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की आपति एवं एतराज होना जाहिर नहीं किया। प्रार्थी पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षी स्वीकार जाकर वाके ग्राम **छापडेल, पटवार मण्डल छापडेल, भू.अ.निरिक्षक छापडेल, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1162/103 रकबा 15 बीघा** भूमि की पत्थरगढी बसामलात समस्त पडौसन के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक छापडेल को 1500/– रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व समस्त हितबब्ध पडौसी खातेदारान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल के दौरान पत्थ्रगढी नहीं की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थगढी किए जावें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार कोटडी को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होहर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/4/2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1– तहसीलदार कोटडी 2. भू अभिलेख निरीक्षक छापडेल